

रिपोर्टयोग्य

भारत के उच्चतम न्यायालय के समक्ष

सिविल अपील क्षेत्राधिकार

सिविल अपील संख्या-2544-2545 वर्ष 2019

{एस.एल.पी.(सी)सं0-16537-16538 वर्ष 2016 से उत्पन्न}

कृष्णानन्द शुक्ला

.....अपीलार्थी

बनाम

उच्च शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद व अन्य प्रतिवादीगण

निर्णय

अशोक भूषण, न्यायमूर्ति

अनुमति प्रदान की जाती है।

प्रस्तुत दोनों अपीलें, रिट याचिका सं0 29473 सन् 1999 को खारिज करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 06.10.2015 और पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र सं0 421500 सन् 2015 जो कि अपीलार्थी के द्वारा दाखिल की गयी थी, को खारिज करते हुए आदेश दिनांक 09.03.2016 के विरुद्ध दाखिल की गयी है।

3- वाद के संक्षिप्त तथ्य जो अपीलों को निर्णीत किये जाने के लिए आवश्यक हैं:-

अपीलार्थी, यह दावा करता है कि उसकी नियुक्ति दिनांक 02.08.1991 को जवाहर लाल नेहरू स्मारक परास्नातक महाविद्यालय (सम्बद्ध गोरखपुर विश्वविद्यालय) गोरखपुर, के प्रबन्धतन्त्र द्वारा किया गया।

Disclaimer:

"The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be

अपीलार्थी का मामला यह है कि समाचार पत्र हिन्दी दैनिक, गोरखपुर में दिनांक 22.06.1991 को एक विज्ञापन जारी किया गया जिसके अनुक्रिया में उसने रक्षा अध्ययन के आचार्य (प्रोफेसर) के पद के लिए आवेदन किया। विश्वविद्यालय के कुलपति ने नियुक्ति के लिए एक विशेषज्ञ मनोनीत किया। अपने पत्र दिनांक 09.10.1991 के द्वारा, चयन समिति की संस्तुति दिनांक 22.07.1991 के आधार पर, विश्वविद्यालय द्वारा अपीलार्थी की नियुक्ति तदर्थ आधार पर, 6 माह की अवधि या जब तक एक नियमित अध्यापक का आयोग द्वारा चयन नहीं हो जाता, जो भी पहले हो, के लिए स्वीकृत किया गया। अपीलार्थी की तदर्थ नियुक्ति को एक अनुवर्ती पत्र दिनांक 29.11.1991 द्वारा पुनः स्वीकृत किया गया जब तक कि चयन आयोग द्वारा यथोचित चयनित एक प्रत्याशी उक्त पदभार न संभाल ले। अपीलार्थी का आगे का मामला यह है कि कालेज में सैन्य विज्ञान के प्रवक्ता का पद पत्र दिनांक 09.02.1996 द्वारा सृजित किया गया। अपीलार्थी का मामला यह था कि उसने अप्रैल, 1998 तक कालेज से वेतन प्राप्त किया और तत्पश्चात् प्रबन्ध समिति के मध्य विवाद के कारण उसके वेतन का भुगतान नहीं किया गया।

दिनांक 20.07.1999 को एक अंतरिम आदेश पारित किया गया जिसके अनुपालन में अपीलार्थी को वेतन का भुगतान प्रारम्भ कर दिया गया।

4— इस रिट याचिका में सहायक शिक्षा निदेशक द्वारा एक प्रति शपथ पत्र दाखिल किया गया जिसमें अपीलार्थी के दावे का खण्डन किया गया और यह उल्लेख किया गया कि अपीलार्थी के दावे को आदेश

Disclaimer:

"The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be

दिनांक 28.07.2005 के द्वारा पहले ही खारिज किया जा चुका है। यह कथन किया गया कि यद्यपि अपीलार्थी ने दिनांक 02.08.1991 को अपनी तदर्थ नियुक्ति सैन्य विज्ञान के प्रवक्ता पद का दावा किया था जबकि सैन्य विज्ञान का पद 09.02.1996 को सृजित किया गया था। उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1937, की धारा 60 (ई) और 60 ए (vi) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, वेतन के भुगतान की कोई जिम्मेदारी राज्य की नहीं है। यह भी कथन किया गया कि याची की नियुक्ति सम्यक प्रक्रिया का पालन करते हुए नहीं किया गया था। रिट याचिका को खण्डपीठ के निर्णय दिनांक 06.10.2015 द्वारा खारिज कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने प्रति शपथ-पत्र के पैराग्राफ 3 (एच) और 3 (आई) और याची के प्रत्युत्तर शपथ पत्र के पैराग्राफ 6 को संदर्भित किया। उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि बिना विज्ञापन के नियुक्ति शून्य है। आदेश दिनांक 06.10.2015 को चुनौती देते अपीलार्थी ने इस न्यायालय में एक एस.एल.पी. दाखिल की। निम्न आदेश द्वारा एस.एल.पी. को इस न्यायालय द्वारा 30.11.2015 को खारिज कर दिया गया।

“याची के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभिलेख में त्रुटि स्पष्ट है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा दाखिल प्रति शपथ पत्र में कोई 3 (आई) पैराग्राफ नहीं है और न ही प्रत्युत्तर शपथपत्र में कोई पैराग्राफ 6 है जैसा कि आक्षेपित आदेश में उद्धृत किया गया है। उनका कहना है कि वे एक पुनरीक्षण याचिका दाखिल करना चाहेंगे। अनुमति प्रदान की जाती है।

Disclaimer:

“The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be

यह विशेष अनुमति याचिका “वापस लेते हुए” खारिज की जाती है। यदि पुनरीक्षण याचिका खारिज हो जाती है तो याची इस न्यायालय के समक्ष आक्षेपित आदेश को चुनौती देने के लिए स्वतंत्र है।”

5— इस न्यायालय के द्वारा पारित ऊपर वर्णित आदेश दिनांक 30.11.2015 के बाद अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय में एक पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र दाखिल किया। पुनरीक्षण प्रार्थनापत्र को उच्च न्यायालय द्वारा एक बिना कारण आदेश दिनांकित 09.03.2016 द्वारा खारिज कर दिया गया है। पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र को खारिज करने के आदेश और रिट याचिका को खारिज करने के मुख्य निर्णय दिनांक 06.10.2015 से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी ने ये दोनों अपीलें दायर की।

6— अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वजीत सिंह ने यह कथन किया कि किसी अन्य रिट याचिका की प्रार्थना को संदर्भित करते हुए इस रिट याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। अपीलार्थी द्वारा दाखिल की गयी रिट याचिका में प्रत्युत्तर शपथपत्र किसी डॉ० आर० आर० यादव द्वारा दाखिल किया गया था जिसे इन अपीलों के अभिलेख पर संलग्नक-पी 14 के रूप में दाखिल किया गया। प्रति शपथपत्र में कोई भी 3 (एच) और 3 (आई) पैराग्राफ नहीं है जबकि उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 06.10.2015 में, प्रति शपथपत्र के पैराग्राफ 3 (एच) और 3 (आई) को संदर्भित किया है और जैसा कि प्रत्युत्तर शपथपत्र के पैराग्राफ 6 में इस प्रतिशपथपत्र के उक्त पैराग्राफ का जवाब जैसा कि आक्षेपित निर्णय में उद्धृत है, भिन्न था। और प्रत्युत्तर शपथपत्र के पैरा-6 में प्रतिशपथपत्र के

Disclaimer:

“The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be

उपरोक्त पैराग्राफ्स का उत्तर जैसा कि आक्षेपित निर्णय में वर्णित किया गया है, अलग था।

7— विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि याची ने पुनर्विलोकन आवेदन में स्पष्ट त्रुटि को आधार बनाया था किन्तु उस आधार पर बिना विचार किये ही पुनर्विलोकन आवेदन को खारिज कर दिया गया। याची के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि याची की नियुक्ति से पहले पद हेतु विज्ञापन दिया गया था। एक हिन्दी दैनिक में दिनांक 22.06.1991 को छपे हुए ऐसे ही एक विज्ञापन की प्रतियां संलग्नक पी-1 के रूप में दाखिल की गयी हैं। उनका कथन है कि याची ने अपनी नियमतीकरण हेतु पहले से ही एक रिट याचिका उच्च न्यायालय में दायर की है जोकि रिट याचिका नम्बर 1704(एस.बी)/2013 है और वह याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ में लम्बित है। याची के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि याची दो दशक से भी ज्यादा समय से कार्य कर रहा है और उच्च न्यायालय ने याची की रिट याचिका के अभिवचनों और तथ्यों पर बिना विचार किये रिट याचिका को खारिज करने में एक त्रुटि की है।

8— राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने याची के कथन का विरोध करते हुए तर्क किया है कि याची की नियुक्ति नियमानुसार नहीं हुई है। उनका कहना है कि उच्च न्यायालय के द्वारा याची की रिट याचिका खारिज किया जाना उचित है।

9— हमने पक्षों के कथनों पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

Disclaimer:

"The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be

10— याची ने लेक्चरर, मिलिट्री साइंस के पद पर गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध एक कालेज में तदर्थ नियुक्ति का दावा किया है। याची के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि रिट याचिका में प्रतिशपथपत्र के पैरा-3(एच) और 3(आई) और प्रत्युत्तर शपथपत्र के पैरा-6 जिनका संदर्भ लिया गया हैं और रिट याचिका को खारिज करने में आधार लिया गया है वो याची की रिट याचिका के जवाब में दाखिल प्रति शपथपत्र और प्रतिउत्तर शपथपत्र में मौजूद नहीं है। याची ने प्रतिशपथपत्र की प्रति को संलग्नक पी-14 के रूप में दाखिल किया है। प्रतिशपथपत्र में पैरा-3 (एच) से उक्त पैरा-जी मात्र है। याची द्वारा रिट याचिका में डा0 एक आर0आर0 यादव, सहायक निदेशक उच्चतर शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा दाखिल प्रतिशपथपत्र में कोई भी पैरा-3(एच) और 3(आई) नहीं है। उच्च न्यायालय के निर्णय में प्रत्युत्तर शपथपत्र के उस पैरा 6 को उद्धरित किया गया है जिसे पैरा 3 (एच) और 3(आई) का जवाब बताया गया था। याची ने अपनी रिट याचिका में प्रत्युत्तर शपथपत्र को संलग्नक पी-15 के रूप में दाखिल किया है। याची द्वारा दाखिल प्रत्युत्तर शपथपत्र के पैरा-6 में निम्नलिखित अभिवचन हैं।

“6. प्रतिशपथपत्र के पैरा नं0-3 (C) के विषय वस्तु के जबाब में यह कथन किया गया है कि याची की नियुक्ति लेक्चरर, मिलिट्री साइंस के पद पर 6.8.1991 को हुई थी। और याची का समायोजन उक्त पद पर किया गया था। याची को वेतन और सारे भत्ते जी.पी.एफ सहित प्राप्त हो रहे थे और वित्तीय अनुमोदन प्रतिवादी नं0-1 द्वारा किया गया।

Disclaimer:

“The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be

प्रतिवादी नं०-1 द्वारा वित्तीय अनुमोदन की सत्य प्रतिलिपि दिनांकित 12.11.2001 इस माननीय न्यायालय में विचारार्थ यहां संलग्न है। जोकि इस प्रत्युत्तर शपथपत्र के संलग्नक नं० आर०अ-2 के रूप में चिन्हित है।

11- प्रत्युत्तर शपथपत्र के पैरा नं०-6 जैसा कि आक्षेपित निर्णय 06.10.2015 में उद्धृत है, पूर्णतयः भिन्न है। जैसा कि ऊपर टिप्पण है, इस न्यायालय में याची द्वारा एक एस.एल.पी. दाखिल की गयी थी। जिसमें कि उपरोक्त तथ्य दिया गया था। इस न्यायालय में एस.एल.पी. को खारिज कर दिया था और उच्च न्यायालय में पुनर्विलोकन आवेदन दाखिल करने के लिए याचिका को एस.एल.पी. वापिस लेने की अनुमति प्रदान की। एक पुनर्विलोकन आवेदन नं०-421500/2015 दाखिल की गयी जिसमें दूसरे आधारों के अलावा निम्नलिखित आधार को लिया गया।

1-“क्योंकि निर्णय में स्पष्ट अभिलेखीय त्रुटि है कि प्रतिवादी संख्या-1 और 2 द्वारा सम्मिलित रूप से दिये गये प्रतिशपथ पत्र में न तो पैरा नं०-3 (आई) और न ही प्रत्युत्तर शपथपत्र में पैरा-6 है जैसाकि आक्षेपित आदेश दिनांकित 06.10.15 में उद्धरित किया गया है।

2- क्योंकि याची के जो तथ्य हैं उनमें अपार्टमेन्ट (?) (स्पष्ट) त्रुटि है। और नियुक्ति पत्र निर्गत किये जाने की तिथि रिट याचिका नं०-29473/1999 के अभिलेख से मेल नहीं खाती है जैसा कि आक्षेपित दिनांक 06.10.2015 में उल्लेख है।

3- क्योंकि यह माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष यह बताना सुसंगत है कि याची की रिट याचिका नं०-29473/1999 माननीय उच्च

Disclaimer:

“The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose.

For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be

न्यायालय द्वारा याची की याचिका के तथ्यों और साक्ष्यों का परीक्षण किये बिना ही निस्तारित की गयी। आक्षेपित आदेश दिनांक 06.10.2015, डा0 त्रियोगी नाथ बनाम निदेशक उच्चतर शिक्षा व अन्य, रिट याचिका नं0-29474/1999 में दिनांक 06.10.2015 को पारित आदेश की वही प्रतिलिपि है, जबकि पूरक शपथपत्र, प्रत्युत्तर शपथपत्र और प्रतिशपथपत्र की विषय वस्तु और नियुक्ति के सम्बन्ध में तिथि और घटना पूर्णतः भिन्न है।

12-यद्यपि उपरोक्त आधारों को याची द्वारा पुनर्विलोकन आवेदन में विनिर्दिष्ट रूप से लिया गया था किन्तु उच्च न्यायालय में पुनर्विलोकन आवेदन को नान स्पीकिंग आदेश द्वारा दिनांक 09.03.16 को खारिज कर दिया। पूर्व में याची को दी गयी स्वतंत्रता के अनुसार, उसने पुनः इन अपीलों के साथ उच्च न्यायालय के दोनो आदेशों को चुनौती दी है।

13- अभिलेखों से, यह प्रतीत होता है कि याची द्वारा दाखिल रिट याचिका नं0-29473/1999 के साथ अन्य रिट याचिका नं0-29474/1999 (डा0 त्रियोगी नाथ बनाम डायरेक्टर उच्चतर शिक्षा एवं अन्य) जुड़ी थी, जिसे सुना गया। याची की रिट याचिका का विनिश्चय करते समय, यह प्रतीत होता है कि प्रतिशपथपत्र के पैरा-3 (एच) और 3 (आई) और रिट याचिका नं0-29474/1999 में पैराग्राफ 6 को सन्दर्भित किया गया है।

14-उच्च न्यायालय जब तक याची के तथ्यों और उसमें किये गये अभिवचनों को नहीं देखती, रिट याचिका को विनिश्चित नहीं किया जा सकता था। यह ध्यान देना सुसंगत है कि दिनांक 06.10.2015 को रिट याचिका को विनिश्चित करते समय उच्च न्यायालय द्वारा कारित की गयी त्रुटि को उच्च न्यायालय के संज्ञान में इस न्यायालय से

Disclaimer:

"The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and

एस.एल.पी. वापस लेने के बाद विस्तृत पुनर्विलोकन आवेदन दायर करके लाया गया लेकिन पुनर्विलोकन आवेदन को नॉन स्पीकिंग आदेश के द्वारा आवेदन में उठाये गये विनिर्दिष्ट आधारों पर बिना विचार किये हुए खारिज कर दिया गया था। हमारा यह विचार है कि रिट याचिका में अभिवचनों का सन्दर्भ लिये बिना जोकि प्रतिशपथपत्र और प्रत्युत्तर शपथपत्र है, उच्च न्यायालय का रिट याचिका नं०-29473 / 1999 में निर्णय बनाये रखा नहीं जा सकता।

15. हमारे विचार में उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांकित 06.10.2015 एवं 09.03.2016 को अपास्त करना और मामले को उच्च न्यायालय को नये सिरे से अभिलेख पर अभिवचन के आधार पर याचिका निर्णित करने के लिए प्रेषित करना न्यायोचित होगा। मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों के प्रकाश में हमने न तो अपीलार्थी के दावों के गुणागुणों का विरोध किया है और न ही दावों के गुणागुणों पर कोई राय अभिव्यक्त की है। उच्च न्यायालय अब याचिका को विधि के अनुरूप गुणागुणों पर नये सिरे से निर्णय करने के लिए अग्रसर होगी। यह स्पष्ट है कि प्रार्थी का वेतन के भुगतान के लिए अथवा नियमित करने के लिए दावा जो कि 2013 के W.P. No. 1704 (SB) में लम्बित है, याचिका सं. 1999 के 29473 के निष्कर्ष पर आश्रित रहेगा। निर्णय दिनांकित 06.10.2015 एवं आदेश दिनांकित 09.03.2016 अपास्त कर दिये जायें। अपीलों को तदनुसार निपटाया जाता है।

अशोक भूषण, न्यायमूर्ति
के.एम. जोसेफ, न्यायमूर्ति

नई दिल्ली,
मार्च 06, 2019.

Disclaimer:

"The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose.

For all legal and official purposes, the English version of the judgment shall be

रिपोर्ट योग्य

माननीय उच्चतम न्यायालय

सिविल अपील न्यायाधिकरण

सिविल अपील संख्या 7545-7546 वर्ष 2009

दिलीप मणि दुबे

.....अपीलार्थीगण

बनाम

मेसर्स एस.आई.ई.एल. लि. एवं अन्य

.....प्रतिवादीगण

निर्णय

अभय मनोहर सप्रे, न्यायमूर्ति

1. ये अपीले सी.एम.डब्ल्यू पी. संख्या-4435 वर्ष 1999 तथा सी.एम. पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र संख्या-1098 वर्ष 2008 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा क्रमशः 29.11.2007 तथा 05.02.2008 को दिये गये अंतिम निर्णय तथा आदेश के विरुद्ध दाखिल की गई हैं जिनके द्वारा उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या-1 द्वारा दाखिल की गई याचिका को स्वीकृत किया है तथा अपीलार्थी द्वारा दाखिल पुनर्विलोकन याचिका को खारिज किया है।

2. इन अपीलों के निपटारे हेतु निम्नांकित कुछ तथ्यों का उल्लेख आवश्यक है।

3. उत्तर-प्रदेश शासन द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम (आगे से "द आई.डी. एक्ट" के रूप में संदर्भित) की धारा-10 के अन्तर्गत, औद्योगिक अधिकरण मेरठ के समक्ष किये गये संदर्भ के अनुसरण में, औद्योगिक अधिकरण ने प्रतिवादी संख्या-1 (नियोजक) के द्वारा जारी अपीलार्थी (कर्मकार) के पर्यवसन-आदेश की वैधता एवं सत्यता सुनिश्चित करने हेतु अपीलार्थी के हित में निर्णय संग्रहण पी-8 दिनांकित 27.6.1998 के द्वारा इस संदर्भ का उत्तर दिया है एवं न्यायनिर्णयन वाद संख्या-137 वर्ष 1995 में पिछले वेतन के भुगतान सहित उसकी सेवा बहाल की है।

4. प्रतिवादी संख्या-1(नियोजक) व्यथित हुए एवं उपरोक्त निर्णय के विरुद्ध इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की।

5. 29.11.2007 को, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश के द्वारा इस रिट याचिका को स्वीकृत किया तथा प्रतिवादी संख्या-1 के हित में इस संदर्भ का उत्तर देते हुए औद्योगिक अधिकरण के निर्णय को अपास्त किया।

Disclaimer:

"The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in

6. उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी ने एक पुनर्विलोकन याचिका दायर की जिसको उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांकित 5.2.2008 के माध्यम से खारिज किया गया।
7. यह, उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका एवं पुनर्विलोकन याचिका में दिये गये आदेशों के विरुद्ध है, अपीलार्थी (कर्मकार) व्यथित हुआ तथा विशेष आज्ञा के माध्यम से इस न्यायालय में ये याचिकायें दायर की हैं।
8. इसलिए, लघु प्रश्न जो इन अपीलों में विचारार्थ है कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका को स्वीकार करना तथा औद्योगिक अधिकरण के निर्णय को अपास्त करना न्यायोचित था।
9. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री देवव्रत, प्रतिवादी संख्या-1 के वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता श्री देबल बनर्जी तथा प्रतिवादी संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता श्री श्रीश कुमार मिश्रा को सुना गया।
10. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने तथा इस वाद के अभिलेख का अध्ययन करने के पश्चात हमने इन याचिकाओं में कोई गुणागुण नहीं पाया।
11. मुख्य प्रश्न जो औद्योगिक अधिकरण एवं उच्च न्यायालय के समक्ष विचारार्थ है कि क्या अपीलार्थी(कर्मकार) प्रतिवादी संख्या-1(नियोजक) की एक वर्ष की निरन्तर सेवा में था जैसा कि उ. प्र. औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 6-एन के अंतर्गत उपबंधित है।
12. यद्यपि, औद्योगिक अधिकरण ने इस प्रश्न का उत्तर अपीलार्थी के पक्ष में दिया है, परन्तु इसी को उच्च न्यायालय ने उलट दिया एवं उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या-1 (नियोजक) के पक्ष में उत्तर दिया।
13. हमारी राय में, इस प्रकार के प्रश्न पर निष्कर्ष, तथ्य का निष्कर्ष होने के कारण यह न्यायालय पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सम्पूर्ण साक्ष्य का अनुशीलन करते हुए नये सिरे से परीक्षण नहीं कर सकती है। हमारी दृष्टि में उच्च न्यायालय ने मामले का विस्तार से परीक्षण किया तथा इस प्रश्न पर न्यायालय का निष्कर्ष, तथ्य का निष्कर्ष होने के कारण इस न्यायालय के लिए बाध्यकारी है।
14. **श्रीराम इंडस्ट्रीज इंटरप्राइजेज लि. बनाम महक सिंह एवं अन्य** 2007(4) एस.सी. 94 में दिये निर्णय पर निर्भर रहते हुए तथा उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्राविधान का संदर्भ देते हुए अपीलार्थी (कर्मकार) के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय द्वारा मुद्दों का उचित रूप से निर्णय नहीं किया गया है।

15. विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, प्रथमशः उच्च न्यायालय ने इस वाद के तथ्यों का अनुशीलन करने में त्रुटि की है जिसे यह अपने सीमित न्यायाधिकार के कारण नहीं कर सकता था, और दूसरा, **श्रीराम इंडस्ट्रीज लि. के वाद** में स्थापित विधि को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण के निर्णय को, जो सही और उचित है, को बनाये रखना चाहिए था।

16. हम इस निवेदन से सहमत नहीं हैं। हमारी राय में, उच्च न्यायालय ने, हालांकि तथ्यात्मक सॉचे पर ध्यान दिया तथा दोनों पक्षकारों द्वारा वाद की स्थापना के संदर्भ में मुद्दे का इसके उचित दृष्टिकोण में परीक्षण किया है फिर भी सही निर्णय पर पहुँची है कि अपीलार्थी(कर्मकार) ने प्रतिवादी संख्या-1(नियोजक) के यहाँ एक वर्ष तक निरन्तर कार्य नहीं किया है।

17. अब हम संविधान के अनुच्छेद-136 के अंतर्गत अपने अपीली न्यायाधिकार के तहत इस प्रश्न का नये सिरे से पुनः परीक्षण नहीं कर सकते। वो भी तब जब हमने पाया कि इस प्रश्न पर निष्कर्ष न तो पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों के विरुद्ध है न ही किसी कानून के प्राविधान के विरुद्ध है और न ही ये विकृत है।

18. जहाँ तक **श्रीराम इंडस्ट्रीयल इंटरप्राइजेज लिमिटेड** (उपरोक्त) में निर्णय का प्रश्न है, जिस पर प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता निर्भर हैं, वह, हमारे विचार में तथ्यों पर भिन्न है। अतः हमारे पास आक्षेपित आदेश को अपास्त करने के लिए इस निर्णय पर निर्भर होने का कोई आधार नहीं है।

19. हम, फिर भी, पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने औद्योगिक अधिकरण के अधिनिर्णय को अपास्त करने के बावजूद, यह उचित रूप से निर्देशित किया है कि जो भी राशि प्रार्थी (कर्मकार) को प्रतिवादी नं०-1 (नियोजक) के द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 17-B के अन्तर्गत पारित आदेश के अनुसरण में मुकदमा लम्बित रहने के दौरान अदा की गयी है, उसे प्रार्थी से आक्षेपित आदेश के आधार पर वसूला नहीं जायेगा। प्रतिवादी नं०-1 (नियोजक) के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार यह कीमत अत्यधिक है एवं 2 लाख रुपये से ज्यादा है। जैसा हो सकता है वैसा रहने दें।

20. हमारे विचार में उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादी नं०-1 (नियोजक) के विरुद्ध जारी यह निर्देश, इस न्यायालय द्वारा इस निमित्त स्थापित कानून के अनुपालन में है।

21. वास्तव में, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 17-B के अन्तर्गत कार्यवाहियां स्वतन्त्र प्रकृति की हैं एवं मुख्य कार्यवाहियों में पारित अन्तिम आदेश पर निर्भर नहीं हैं।

6. उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी ने एक पुनर्विलोकन याचिका दायर की जिसको उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांकित 5.2.2008 के माध्यम से खारिज किया गया।

7. यह, उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका एवं पुनर्विलोकन याचिका में दिये गये आदेशों के विरुद्ध है, अपीलार्थी (कर्मकार) व्यथित हुआ तथा विशेष आज्ञा के माध्यम से इस न्यायालय में ये याचिकायें दायर की हैं।

8. इसलिए, लघु प्रश्न जो इन अपीलों में विचारार्थ है कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका को स्वीकार करना तथा औद्योगिक अधिकरण के निर्णय को अपास्त करना न्यायोचित था।

9. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री देवव्रत, प्रतिवादी संख्या-1 के वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता श्री देबल बनर्जी तथा प्रतिवादी संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता श्री श्रीश कुमार मिश्रा को सुना गया।

10. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने तथा इस वाद के अभिलेख का अध्ययन करने के पश्चात हमने इन याचिकाओं में कोई गुणागुण नहीं पाया।

11. मुख्य प्रश्न जो औद्योगिक अधिकरण एवं उच्च न्यायालय के समक्ष विचारार्थ है कि क्या अपीलार्थी(कर्मकार) प्रतिवादी संख्या-1(नियोजक) की एक वर्ष की निरन्तर सेवा में था जैसा कि उ. प्र. औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 6-एन के अंतर्गत उपबंधित है।

12. यद्यपि, औद्योगिक अधिकरण ने इस प्रश्न का उत्तर अपीलार्थी के पक्ष में दिया है, परन्तु इसी को उच्च न्यायालय ने उलट दिया एवं उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या-1 (नियोजक) के पक्ष में उत्तर दिया।

13. हमारी राय में, इस प्रकार के प्रश्न पर निष्कर्ष, तथ्य का निष्कर्ष होने के कारण यह न्यायालय पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सम्पूर्ण साक्ष्य का अनुशीलन करते हुए नये सिरे से परीक्षण नहीं कर सकती है। हमारी दृष्टि में उच्च न्यायालय ने मामले का विस्तार से परीक्षण किया तथा इस प्रश्न पर न्यायालय का निष्कर्ष, तथ्य का निष्कर्ष होने के कारण इस न्यायालय के लिए बाध्यकारी है।

14. **श्रीराम इंडस्ट्रीज इंटरप्राइजेज लि. बनाम महक सिंह एवं अन्य** 2007(4) एस.सी. 94 में दिये निर्णय पर निर्भर रहते हुए तथा उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्राविधान का संदर्भ देते हुए अपीलार्थी (कर्मकार) के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय द्वारा मुद्दों का उचित रूप से निर्णय नहीं किया गया है।

22. यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि यदि न्यायालय/अधिकरण, कर्मकार के विरुद्ध पारित पर्यवसान आदेश को विधिक ठहराता है, तथापि नियोजक के पास यह अधिकार न होगा कि जो राशि उसके द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 17-B के अन्तर्गत पारित आदेश के अनुसरण में कार्यवाहियों के लम्बित रहने के दौरान कर्मकार को अदा की जा चुकी है, वह उसकी वसूली कर सके। [देखें— **देना बैंक बनाम कीर्ति कुमार टी0 पटेल**, (1999) 2 SCC 106, **देना बैंक बनाम धनश्याम**, (2001) 5 SCC 169 और **राजेश्वर महतो बनाम आलोक कुमार गुप्ता** (2018) 4 SCC 341]।

23. अतः प्रार्थी को ऐसे आदेश से यह संतुष्टि होनी चाहिए कि यद्यपि वह मामला हार गया तथापि उसने मुकदमा लम्बित रहने के दौरान अत्यधिक राशि प्राप्त की, जिस पर प्रतिवादी संख्या-1 (नियोजक) के द्वारा अपील में उचित प्रकार से आपत्ति दर्ज नहीं की गयी।

24. पूर्ववर्ती बातों को ध्यान में रखते हुए, हमें इन अपीलों में कोई गुणागुण दर्शित नहीं होता है अतः यह अपीलें अपर्याप्त होने के कारण खारिज की जाती है।

अभय मनोहर सप्रे, न्यायमूर्ति
दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ति

नई दिल्ली;
मार्च 12, 2019

उच्चतम न्यायालय
सिविल अपीली अधिकारिता

सिविल अपील सं. 1961 सन् 2019
(विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं. 31539 सन् 2012 से उत्पन्न)
संजय के. दीक्षित और अन्यअपीलार्थीगण
बनाम
उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्यप्रतिवादीगण

युक्त

सिविल अपील सं. 1962 सन् 2019
(विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं. 33506 सन् 2012 से उत्पन्न)
जय प्रकाशअपीलकर्ता
बनाम
उत्तर प्रदेश सरकारप्रतिवादी

युक्त

सिविल अपनी सं. 1963 सन् 2019
(विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं. 8945 सन् 2013 से उत्पन्न)
हरिन्दर सिंह तोमरअपीलकर्ता
बनाम
अतुल कुमार शर्माप्रतिवादी

युक्त

सिविल अपील सं. 1964 सन् 2019
(विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं. 9419 सन् 2013 से उत्पन्न)
जहाँगीर खानअपीलकर्ता
बनाम

उत्तर प्रदेश सरकारप्रतिवादी

Disclaimer:

"The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the

युक्त

सिविल अपील सं. 1965 सन् 2019
(विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं.14853 सन् 2013 से उत्पन्न)

सचिदानन्द प्रसादअपीलकर्ता
बनाम
उत्तर प्रदेश सरकारप्रतिवादी

युक्त

सिविल अपील सं. 1966 सन् 2019
(विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं.22782 सन् 2013 से उत्पन्न)

अजय कुमारअपीलकर्ता
बनाम
उत्तर प्रदेश सरकारप्रतिवादी

निर्णय

एल.नागेश्वर राव, जे.

अनुमति प्रदान,

1— उक्त सभी अपीलें उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन में टेक्निशियन ग्रेड 2 (अप्रेन्टिशशिप इलेक्ट्रिकल) के पद पर चयन एवं नियुक्ति से संबंधित है। 4 मार्च 2011 को विद्युत सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, द्वारा एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया जिसमें टेक्निशियन ग्रेड-2 (अप्रेन्टिशशिप इलेक्ट्रिकल) के 2974 पदों पर भर्ती हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। उक्त विज्ञापन में वर्णित पात्रता शर्तों के अनुसार अभ्यर्थी को दो वर्ष का इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में राष्ट्रीय – राज्य स्तरीय व्यवसायिक प्रमाणपत्र के साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से हाई स्कूल अथवा गणित एवं विज्ञान विषयों के साथ समकक्ष होना चाहिए। इसके अतिरिक्त साक्षात्कार के समय डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एकेडिशन ऑफ कंप्यूटर कोर्सेस (DOEACC) (यहाँ के बाद DOEACC प्रमाणपत्र) के द्वारा प्रदत्त कोर्स आन कम्प्यूटर कानसेप्ट (CCC) प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक था। 2974 विज्ञापित पदों पर चयन हेतु 16712 लोगों ने आवेदन प्रस्तुत किये। 7 अगस्त 2011 को आयोजित लिखित परीक्षा में शामिल 13576 अभ्यर्थियों में से 6218 लोग उत्तीर्ण हुए।

Disclaimer:

“The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall prevail.”

28 नवम्बर 2011 से 28 दिसम्बर 2011 के मध्य आयोजित साक्षात्कार में 5687 लोग शामिल हुए। साक्षात्कार में शामिल हुए अभ्यर्थियों में से काफी संख्या में लोग DOEACC प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर सके। उक्त कारण से उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन के चेयरमैन एवं प्रबन्ध निदेशक को बहुत सारे अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये जिनमें उनसे DOEACC प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये जाने की समय सीमा बढ़ाने तथा योग्य पाये गये अभ्यर्थियों को बिना DOEACC प्रमाणपत्र प्रस्तुत करते हुए साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन के चेयरमैन एवं प्रबन्ध निदेशक ने एक निर्णय लिया कि बिना DOEACC प्रमाणपत्र वाले अभ्यर्थियों को इस शर्त पर साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति प्रदान की जाती है कि वे तीन महीने के भीतर प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर देंगे। फिर भी, यह साफ कर दिया गया था कि ऐसे अभ्यर्थियों के द्वारा प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये जाने के बाद ही उन्हें नियुक्ति पत्र निर्गत किये जायेंगे।

2—DOEACC प्रमाणपत्र के प्रस्तुत करने की बढ़ी हुयी समय सीमा 28 मार्च 2012 को समाप्त हुयी। तथा भर्ती प्रक्रिया संचालित की गयी। सरकार द्वारा भर्ती पर रोक के कारण परिणाम घोषित नहीं किया जा सका। ऐसे अभ्यर्थी जो 28 मार्च 2012 के पहले प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर सके थे, उन्होंने उ.प्र. पावर कारपोरेशन के चेयरमैन से समय सीमा को और बढ़ाने हेतु अनुरोध किया। कारपोरेशन के द्वारा 19 अप्रैल 2012 को लिए गये एक निर्णय के आधार पर प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की समय सीमा को तीन महीने के लिए और बढ़ा दिया गया। टेक्नीशियन ग्रेड- 2 (अप्रेन्टिशशिप इलेक्ट्रिकल) पद हेतु चयन परिणाम की घोषणा 21 मई 2012 को किया गया। जिन अभ्यर्थियों से DOEACC प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किये थे उन्हें यह सूचित किया गया कि ये 31 जुलाई 2012 तक प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दें अन्यथा उनका चयन स्वतः निरस्त हो जाएगा। 21 मई 2012 को अधिसूचित चयन के खिलाफ असफल अभ्यर्थियों ने रिट याचिकाएं दायर कीं। रिट याचिकाएं करने वालों की शिकायत थी कि चयन सूची में उन लोगों के नाम शामिल थे जो लोग साक्षात्कार के समय DOEACC प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर सके थे उन्होंने ऐसे अभ्यर्थियों को बाहर करने एवं एक संशोधित सूची प्रकाशित करने हेतु निर्देश का भी अनुरोध किया। माननीय उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिकाएँ खारिज कर दीं।

3—एकल पीठ ने राज्य विद्युत परिषद परीचालिकीय कर्मचारी वर्ग सेवा नियमावली, 1995 के नियम-45 पर निर्भर रहते हुए यह आदेश दिया है कि चेयरमैन नियमों को शिथिल करने के लिए सक्षम था।

Disclaimer:

"The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and

उन्होंने यह भी अवधारित किया है कि शिथिलीकरण की शक्ति के उपयोग में कुछ भी गलत नहीं है क्योंकि कॉर्पोरेशन के चेयरमैन/मैनेजिंग डायरेक्टर ने अभ्यर्थियों की ओर से दिये गये कई प्रत्यावेदनों पर पूर्ण रूप से विचार करने के बाद नियमों को शिथिल किया है। रिट याचीगणों की ओर से किया गया यह कथन कि चयन प्रक्रिया प्रारम्भ होने के उपरान्त नियमों का शिथिलीकरण नहीं किया जा सकता था एवं ऐसा प्रयास खेल के नियमों में बीच में मार्ग बदलने के समान है, उच्च न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। असफल रिट याचीगणों ने विद्वान एकल पीठ के निर्णय के विरुद्ध अपील दायर की है जिसमें उन्होने कहा है कि चयन प्रक्रिया प्रारम्भ होने के उपरान्त चयन के नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता था। उन्होंने यह भी कहा है कि विज्ञापन में शिथिलीकरण के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया था। उनके अनुसार, भले ही शिथिलीकरण का अधिकार नियमों में प्रदान किया गया हो, यह अनिवार्य है कि इस तरह के अधिकार के अस्तित्व को विज्ञापन सूचित करे। उच्च न्यायालय के खण्डपीठ के समक्ष यह तर्क रखा गया कि DOEACC प्रमाणपत्र को साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना नियमों एवं विज्ञापन के अनुसार अनिवार्य है। ऐसे अभ्यर्थियों जिन्होंने प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत नहीं किया है वे टेक्नीशियन ग्रेड-2 (अप्रेनटिसशिप इलैक्ट्रीकल) के रूप में चयनित होने के लिए अयोग्य है। खण्डपीठ ने यह निर्धारित करते हुए कि वो अभ्यर्थियों जिन्होंने DOEACC प्रमाणपत्र 31 मार्च 2012 के पहले प्रस्तुत किया है, वो चयनित सूची में शामिल होने के योग्य है, आंशिक रूप से अपील स्वीकार किया है। विद्वान खण्डपीठ ने आगे यह भी निष्कर्ष दिया है कि वो सभी अभ्यर्थियों जिन्होंने 31 मार्च 2012 के बाद प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, चयन होने के योग्य नहीं है। प्राधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि जिन अभ्यर्थियों ने 31 मार्च 2012 के बाद CCC प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया है, उनके नाम चयनित सूची से निकालकर नये सिरे से परिणाम घोषित करें।

4- बेदांगा तालुकदार बनाम सैफुद्दुल्लाह खान एवं अन्य में इस न्यायालय के निर्णय पर निर्भर रहते हुए उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने यह निर्धारित किया है कि नियम में शिथिलीकरण अनुमन्य था चूंकि विज्ञापन में नियम के शिथिलीकरण का उल्लेख नहीं था। वैसे भी प्रथम शिथिलीकरण, जिसके द्वारा अभ्यर्थियों को 28 मार्च 2012 के पहले प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति दी गयी, को व्यापक लोकहित में बनाये रखा चूंकि DOEACC प्रमाणपत्र वितरण नहीं करता जिसके लिए अभ्यर्थियों को दण्ड नहीं दिया जा सकता।

Disclaimer:

"The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation".

5- शुरू-शुरू में, चयन को 21 मई 2012 को घोषित किये गये परिणाम के आधार पर अन्तिम रूप दिया गया एवं 31 जुलाई 2012 तक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्त किया गया। फिर भी, 31 मार्च 2012 के बाद प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को, खण्डपीठ के निर्णय के आधार पर, सेवा से हटा दिया गया। एतद्वारा पीड़ित होकर, उन्होंने SLPs दाखिल की। असफल अभ्यर्थियों ने, जिन्हें चयनित सूची में स्थान प्राप्त नहीं हुआ, उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती दी, उनके अनुसार, यहाँ तक कि, प्रमाण पत्र को 28 मार्च 2012 तक जमा करने हेतु दिया गया प्रथम शिथिलीकरण मनमाना एवं अवैध था।

6- याचीगणों एवं प्रतिवादीगणों के लिए उपस्थित अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात हम इस मत के हैं कि आक्षेपित निर्णय को अधोलिखित कारणों से हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है।

7- स्वीकार्यतः, टेक्नीशियन ग्रेड-2 (अप्रेनटिसशिप इलैक्ट्रीकल) के पदों पर चयन को संचालित करने वाले नियम में सभी अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय DOEACC प्रमाणपत्र जो अस्सी घण्टे के CCC को पूर्ण करने को संज्ञापित करे, प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ऐसी शर्त अनिवार्य की गयी है। विज्ञापन में साक्षात्कार के समय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाली शर्त भी शामिल है। इसमें कोई शक नहीं है कि किसी भी नियम के शिथिलीकरण का अधिकार अस्तित्व में है जो कॉर्पोरेशन के चेयरमैन द्वारा प्रयोग में लाया जा सकता है। यह किसी का मामला नहीं है कि चेयरमैन/मैनेजिंग डायरेक्टर नियम को शिथिल करने में सक्षम नहीं था। परन्तु रिट याचीगणों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा यह कथन किया गया कि शिथिलीकरण नहीं किया जा सकता था क्योंकि विज्ञापन में नियमों के संभावित शिथिलीकरण का उल्लेख नहीं था। हमने रिट याचीगणों की ओर से दिये गये कथित कथनों में बल पाया है। जैसा कि इस न्यायालय ने **बेदांगा तालुकदार (सुप्रा)** में निम्नलिखित निर्धारित किया है।

"29 हमारी राय में यह सुस्थापित है कि आगे भी पुनरावृत्ति की जरूरत नहीं है कि जन कार्यालयों की नियुक्तियां भारतीय संविधान के अनुच्छेद-14 के अनुरूप बनायी जाये। दूसरे शब्दों में किसी भी अभ्यर्थी को असमयक पक्ष देने के परिणामस्वरूप किसी भी तरह का मनमानापन नहीं होना चाहिए। अतः चयन प्रक्रिया, नियत चयन प्रक्रिया के अनुसार सख्ती से की जानी है। परिणामस्वरूप जब कोई विशेष अनुसूची विज्ञापन में उल्लेखित है तब इसे निष्ठापूर्वक बनाये रखा जाना है।

Disclaimer:

"The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and

विज्ञापन के नियम एवं शर्तों में कोई भी शिथिलीकरण तब तक नहीं हो सकता है जब तक ऐसा अधिकार विशिष्ट रूप से आरक्षित न हो। ऐसी शक्ति सुसंगत संवैधानिक नियम में आरक्षित की जा सकती है। भले ही शिथिलीकरण की शक्ति नियम में प्रदान की गयी हो इसका उल्लेख विज्ञापन में किया जाना चाहिए। नियमों में ऐसी शक्ति के अभाव में भी विज्ञापन में इसका उल्लेख किया जाना चाहिए। फिर भी शिथिलीकरण की शक्ति यदि उपयोग की गयी, इसका सम्यक प्रचार किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि वो उम्मीदवार जो शिथिलीकरण के कारण अर्ह हो जाते हैं, उन्हें स्पर्धा और आवेदन का समान अधिकार प्रदान किया जाता है। विज्ञापन में बिना किसी पूर्व प्रकाशन के किसी भी शर्तों का शिथिलीकरण भारत के संविधान के अनुच्छेद-14 और 16 में वर्णित समानता के अधिदेश के विपरीत होगा।

8— हम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय से सम्मानपूर्वक सहमत हैं। उम्मीदवारों को ऐसी शक्ति के अस्तित्व के बारे में बिना सूचित किये हुए शिथिलीकरण की शक्ति का प्रयोग उन लोगों के हितों का नुकसान होगा, जिनके पास प्रमाण पत्र नहीं है और जो चयन प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। हम यह तर्क स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर होता है और DOEACC का प्रमाणपत्र आवश्यक/जरूरी योग्यता नहीं है। नियम और विज्ञापन के अनुसार साक्षात्कार के समय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अग्रतर नियम के अनुसार प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चयन के लिए एक अतिरिक्त योग्यता है। नियम और विज्ञापन में उपरोक्त शर्तों को नकारा नहीं जा सकता।

9— तथाकथित निष्कर्षों के आधार पर, एक बिन्दु जो विचारण हेतु शेष है कि क्या उच्च न्यायालय उन अभ्यर्थियों के सन्दर्भ में जिन्होंने 28 मार्च 2012 से पूर्व प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए हैं, शिथिलीकरण को मान्य ठहराने में सही था। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य का संज्ञान लिया है कि DOEACC द्वारा उन अभ्यर्थियों को प्रमाणपत्र जारी नहीं किये जा रहे हैं जिन्होंने पूर्व में ही पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया। उच्च न्यायालय की विद्वान खण्ड न्यायपीठ का मत था कि यह एक वास्तविक समस्या है एवं उन मेधावी अभ्यर्थियों जो बिना किसी दोष के प्रमाणपत्र पाने में असमर्थ हैं, दण्डित नहीं किया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय की विधि व्यवस्था अमलन ज्योति बरुहा बनाम असम राज्य एवं अन्य का समर्थन लेते हुए विचार प्रतिपादित किया है कि वृहद जनहित में शिथिलीकरण किया जा सकता है।

Disclaimer:

"The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and

10— तत्पश्चात् यह प्रश्न उठता है कि क्या उच्च न्यायालय ऐसा अनुतोष दे सकता है जबकि वह प्रतिपादित कर चुका हो कि नियम का शिथिलीकरण नहीं किया जा सकता है। एक वाद में अन्तिम अनुतोष एवं विनिश्चय आधार भिन्न हो सकता है। संजय सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में निम्न प्रतिपादित किया गया है:-

“10..... मुख्य रूप से वरिष्ठ न्यायालयों के प्रत्येक निर्णय के तीन भाग होते हैं (1) तथ्य एवं विवाद्य विन्दु (2) निर्णय के कारण : और (3) निर्णय में पारित अन्तिम आदेश। निर्णय के कारण अथवा विनिश्चय आधार निर्णय में पारित अन्तिम आदेश नहीं होते। वास्तव में इस न्यायालय के निर्णय में, यद्यपि विनिश्चय आधार एक विशिष्ट परिणाम की ओर इंगित कर सकता है परन्तु विनिश्चय (अनुतोष से संबंधित अन्तिम आदेश) भिन्न हो सकता है और निर्णय के विनिश्चय आधार का स्वाभाविक परिणाम नहीं भी हो सकता है। यह या तो किसी पश्चात्पूर्ती घटना के कारण हो सकता है या अनुतोष को इस प्रकार ढालने की आवश्यकता के कारण हो सकता है जिससे मामले में पूर्ण न्याय हो सके। निर्णय का विनिश्चय आधार ही पूर्व निर्णय बनाता है ना कि अन्तिम आदेश..... ”

11— उपरोक्त को ध्यान में रखते हैं उच्च न्यायालय का उन अभ्यर्थियों के पक्ष में निष्कर्ष जिन्होंने 28 मार्च 2012 से पूर्व प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दिये हैं, सही है और उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

12— आगामी प्रश्न यह उठता है कि वे अभ्यर्थी जिन्होंने दूसरे शिथिलीकरण का प्रयोग करते हुए 31 जुलाई 2012 तक की विस्तारित अवधि में प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए हैं, को समान लाभ दिया जा सकता है। हमारी दृष्टि से दूसरे शिथिलीकरण के लाभार्थियों को उनके समकक्ष नहीं रखा जा सकता है जिन्होंने 28 मार्च 2012 से पूर्व प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए। 21 मई 2012 को परिणाम की घोषणा के आधार पर वे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये, नियुक्त हुए। चयनित सूची को चुनौती देनी वाली रिट याचिकाओं को 30 अगस्त को खारिज कर दिया गया। उच्च न्यायालय की खण्ड न्यायपीठ द्वारा 26 सितम्बर 2012 को पारित आक्षेपित निर्णय जिसमें अनुतोष को संशोधित करते हुए केवल उन अभ्यर्थियों को शिथिलीकरण का लाभ दिया गया जिन्होंने 28 मार्च 2012 से पूर्व प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया, को आधार बनाते हुए उन अभ्यर्थियों को सेवा से हटा दिया गया जिन्होंने 28 मार्च 2012 के पश्चात् प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया। वे व्यक्तिगण अद्यतन निरन्तर रूप से कार्यरत हैं जिन्होंने 28 मार्च 2012 से पूर्व प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया। निगम द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत लिखित टिप्पण में कथन किया है

Disclaimer:

“The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and

कि तकनीशियन ग्रेड - 2 (अप्रेन्टिसशिप इलेक्ट्रिकल) की नियुक्ति के लिए अन्तिम विज्ञप्ति जनवरी 2019 को जारी हुई थी। किसी भी प्रकार का शिथिलीकरण अनुतोष उन व्यक्तिगण के पक्ष में जो 28 मार्च 2012 से पूर्व प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए तत्पर नहीं थे, चल रही चयन प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। वर्ष 2012 में कोई भी पद रिक्त नहीं रखा गया। वर्ष 2012 के किसी पद को आरक्षित रखने का कोई अन्तरिम आदेश नहीं है जिससे उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने 28 मार्च 2012 से पूर्व प्रमाणपत्र नहीं प्रस्तुत किया और जो सेवा से बाहर हों को समायोजित किया जा सके। व्यक्तिगणों के उस प्रथम समूह जिसको शिथिलीकरण का लाभ दिया गया है इस शर्त के आधीन कि 28 मार्च 2012 प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए गए हों और दूसरा समूह जिसने बाद में प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए के मध्य में एक महत्वपूर्ण अन्तर है कि अभिलेख पर ऐसा कोई तथ्य नहीं है जो इंगित करे कि DOEACC की ओर से प्रमाणपत्र जारी करने में अतिरिक्त विलम्ब हुआ हो। यह तथ्य कि कतिपय अभ्यर्थियों ने 28 मार्च 2012 से पूर्व अपना प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दिया दर्शाता है कि वे व्यक्तिगण सजग नहीं थे जिन्होंने 28 मार्च 2012 के पश्चात अतिरिक्त शिथिलीकरण की मांग की। यह एक स्थापित विधि है कि किसी का चयन सूची में समावेश के आधार पर नियुक्ति का अजेय अधिकार नहीं बन जाता है। कोई भी अभ्यर्थी जिसके पक्ष में शिथिलीकरण किया गया है नियुक्ति के अधिकार का पात्र नहीं है। हालांकि इस मामले में पूर्ण न्याय देने हेतु हम उच्च न्यायालय द्वारा उन अभ्यर्थियों के पक्ष में दिए गए निर्णय जिन्होंने 28 मार्च 2012 से पूर्व प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए हैं को मान्य ठहराते हैं।

13— उपरोक्त कारणों वश उच्च न्यायालय के निर्णय को मान्य ठहराया जाता है और सिविल अपीलों का निपटारा किया जाता है।

.....न्यायमूर्ति

(एल. नागेश्वरा राव)

.....न्यायमूर्ति

(संजय किशन कौल)

नई दिल्ली;

फरवरी 22, 2019

Disclaimer:

"The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation".

समक्ष सर्वोच्च न्यायालय, भारत

सिविल अपीलीय अधिकारिता

सिविल अपील सं. 2562/2019

(विशेष अनुमति याचिका संख्या 14973/2010)

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् ——— अपीलकर्ता

विरुद्ध

गंगा सरन (मृतक) विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से और अन्य ——— उत्तरवादी
साथ में

सिविल अपील सं. 2563 / 2019

(विशेष अनुमति याचिका संख्या 36884 /2016)

सिविल अपील सं. 2565 / 2019

(विशेष अनुमति याचिका संख्या 38758 /2016)

सिविल अपील सं. 2564 / 2019

(विशेष अनुमति याचिका संख्या 38361 /2016)

निर्णय

आर. सुभाष रेड्डी, जे.

1. इजाजत दी गयी।

2. ये सभी अपीलें भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 (1) के तहत 29.9.1979 को जारी अधिसूचना से उत्पन्न हुई हैं। सभी को एक साथ सुना जाता है और इस आदेश द्वारा निपटाया जा रहा है। निपटारे के उद्देश्य के लिए हमने उन तथ्यों का उल्लेख किया है जो 2010 के विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 194973/2010 से उत्पन्न सिविल अपील में हैं।

3. बुलंदशहर के टांडा में स्थित उत्तरवादियों – दावेदारों की भूमि खसरा सं. 74 (पैमाइश 2-13-0) और खसरा सं. 75 (पैमाइश 0-17-0) भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 और उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् परिषद्, 1965 के प्रावधानों के तहत आवास योजना के कार्यान्वयन के लिए अधिगृहीत की गई थी। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, आवास योजना के लिए आवश्यक भूमि का अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के तहत किया जा सकता है। 29.9.1979 को अधिसूचना और 20.12.1980 को विज्ञप्ति जारी की गई। भू-अर्जन अधिकारी, आवश्यक पूछताछ करने के बाद 11.10.1984 को अधिनिर्णय पारित कर चुका है। भू अर्जन अधिकारी ने अपने अधिनिर्णय में अधिग्रहित भूमि का प्रतिकर रु 29.08 प्रति वर्ग गज की दर से निर्धारित किया। चूंकि उत्तरवादी – दावेदार तय किए गए बाजार मूल्य से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 18 के तहत सिविल न्यायालय से निर्देश माँगा। निर्देश जिला न्यायाधीश, बुलंदशहर की अदालत को किया गया था, जिसकी संख्या एल.ए.आर 128/1987 है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 18 के तहत चाहे

गए निर्देश के संदर्भ में जिला न्यायालय ने इसका उत्तर 19.12.1994 को अपने निर्णय के रूप में दिया। निर्देश न्यायालय ने बाजार मूल्य को रु 99 /— प्रति वर्ग गज तय करके प्रतिकर बढ़ाया और वैधानिक लाभों के भुगतान का भी आदेश दिया है।

4. 1987 के एल.ए.आर. संख्या 128 में पारित 19.12.1994 के निर्देश न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर, उत्तर प्रदेश अवास विकास परिषद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष 1995 की प्रथम अपील संख्या 354 प्रस्तुत की। 19.01.2010 के निर्णय द्वारा अपीलकर्ता द्वारा यहां प्रस्तुत अपील खारिज कर दी गई थी। व्यथित होकर अपीलकर्ता ने यह अपील की है।

5. हमने अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और उत्तरवादियों-दावेदारों के पक्ष में उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना।

6. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निर्णय का हवाला देते हुए यह प्रस्तुत किया है कि यद्यपि उच्च न्यायालय में की गयी अपील प्रथम अपील है, उच्च न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को आंके बिना इसको खारिज कर दिया। यह निवेदित किया जाता है कि इस आधार पर प्रश्नगत निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। दूसरी ओर, उत्तरवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदित किया है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 (1) के तहत अधिसूचना 29.9.1979 को जारी की गई थी, और उत्तरवादियों-दावेदारों को अभी तक निर्देश न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रतिकर नहीं मिला है; उन्होंने निर्देश न्यायालय के फैसले पर विचार करने का अनुरोध किया और निवेदित किया कि अधिग्रहित भूमि के लिए बाजार मूल्य रुपए 99 /— प्रति वर्ग गज की दर से निर्धारण उचित और तर्कसंगत है। आगे यह निवेदित किया गया है कि यद्यपि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 (1) के तहत जारी अधिसूचना के समय से पहले पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से पत्रावली पर एक दस्तावेजी साक्ष्य है, जो प्रासंगिक समय में अधिग्रहित भूमि का बाजार मूल्य रुपये 200 /— प्रति वर्ग गज के आसपास होना दर्शाता है, निर्देश न्यायालय ने अधिग्रहित भूमि के लिए बाजार मूल्य केवल रुपए 99 /— प्रति वर्ग गज की दर से नियत किया। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि निर्देश न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत ऐसे दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्यों के मद्देनजर, प्रश्नगत निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद, हमने निर्देश न्यायालय के आदेश, उच्च न्यायालय के प्रश्नगत आदेश और पत्रावली पर मौजूद अन्य सामग्री का भी अनुशीलन किया है।

8. यह सत्य है कि यद्यपि अपीलकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील, प्रथम अपील है, लेकिन उच्च न्यायालय ने पत्रावली पर साक्ष्यों को आंके बिना ही उसे खारिज कर दिया है। अपील पर विचार के लिए उच्च न्यायालय को मामला वापस भेजने के बजाय और यह ध्यान देते हुए कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 (1) के तहत अधिसूचना 29.09.1979 को जारी की गई थी, हमने निर्देश न्यायालय के निर्णय और उत्तरवादियों और दावेदारों द्वारा निर्देश न्यायालय के सामने प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार किया है।

9. उत्तरवादियों — दावेदारों की वस्तुस्थिति यह है कि आवास योजना के लिए आवश्यक भूमि नगर निगम की सीमा के भीतर और आवासीय और व्यावसायिक भवनों के पास है।

10. निर्देश न्यायालय के निर्णय और पत्रावली पर उपलब्ध अन्य सामग्री से यह स्पष्ट है कि एस.एल.ए. ओ. ने स्वयं स्वीकार किया है कि अधिग्रहित भूमि अबादी के निकट है और आवासीय घरों के लिए उपयुक्त है। एस.एल.ए.ओ. द्वारा की गयी मौके पर जांच से भी यह पता चला कि अधिग्रहित भूमि के पास आवासीय और वाणिज्यिक भवन अस्तित्व में थे। इसके अलावा बिक्री विलेखों जिनका उल्लेख क्रम संख्या 1 से 4 और 20, 21 और 89 में किया गया है, बताता है कि प्रासंगिक समय के दौरान अधिग्रहित भूमि का बाजार मूल्य रु. 100 से रु. 200 प्रति वर्ग गज तक था। यद्यपि, इस तरह के विक्रय विलेख अधिसूचना से पहले के थे, भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने इस आधार पर इस पर विचार नहीं किया कि अधिग्रहीत जमीन कुल 48 एकड़ थी। इसके अलावा यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि छोटे क्षेत्रों की तुलनीय बिक्री के विक्रय विलेखों पर भी बाजार मूल्य तय करते समय उपयुक्त कटौती करके विचार किया जा सकता है। निर्देश न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए दस्तावेजी साक्ष्य, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 (1) के तहत अधिसूचना जारी किये जाने के प्रासंगिक समय के दौरान अधिग्रहित भूमि के बाजार मूल्य को दर्शाता है, जो कि रु. 100 से रु. 200 प्रति वर्ग गज तक होता है। साक्ष्य को सम्पूर्ण रूप से देखते हुए निर्देश न्यायालय ने अधिग्रहित भूमि का बाजार मूल्य रु. 99 प्रति वर्ग गज निर्धारित किया है। निर्देश न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर साक्ष्य को विचार करते हुए अन्य वैधानिक लाभों के साथ अधिग्रहित भूमि के बाजार मूल्य का निर्धारण रुपये 99 प्रति वर्ग गज की दर से किये जाने को अवैध नहीं कहा जा सकता है। निर्देश न्यायालय द्वारा रु 99 / – प्रति वर्ग गज की दर पर निर्धारित बाजार मूल्य धारा 4 (1) की अधिसूचना की तारीख को उचित और वास्तविक बाजार मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। उपरोक्त कारणों से, हम अपील में कोई गुण नहीं पाते हैं और उसी के अनुसार उसे खारिज कर दिया जाता है।

एसएलपी (सी) संख्या 36884 / 2016, 38758 / 2016 और छव.38361 / 2016 से उत्पन्न सिविल अपीलें

2010 के एसएलपी (सी) संख्या 14973 से उत्पन्न सिविल अपील में पारित आदेश को ध्यान रखते हुए, इन अपीलों को भी खारिज कर दिया गया है।

..... जे

(आर. बानुमती)

..... जे

(आर. सुभाष रेड्डी)

नई दिल्ली: 26 फरवरी, 2019

समक्ष सर्वोच्च न्यायालय, भारत
क्रिमिनल अपील अपीलीय अधिकारिता
क्रिमिनल अपील सं. 395/2019
2017 के एसएलपी (क्रिमिनल) नंबर 4560 से उत्पन्न)
साथ में
क्रिमिनल अपील सं. 396/2019
खुशबू गुप्ता ... अपीलकर्ता
बनाम
उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य ... उत्तरवादी

निर्णय

आर. बानुमती, जे.

1. इजाजत दी गयी।
2. ये अपीलें उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा क्रिमिनल पुनरीक्षण संख्या 1354/2017 में 25.04.2017 को पारित आदेश से उत्पन्न होती हैं, जिनमें उच्च न्यायालय ने धारा 319 दं.प्र.सं. के तहत अपीलकर्ताओं को धारा 302 भा.दं.सं के तहत दंडनीय अपराध के लिए समन करने के विचारण न्यायालय के आदेश की पुष्टि की है।
3. सुधीर कुमार गुप्ता (साक्षी-1) की बेटी शिल्पा की शादी 26.01.2006 को डिपल उर्फ आकाश दीप के साथ हुई थी। विवाह से दो बच्चे पैदा हुए। शिकायतकर्ता सुधीर कुमार गुप्ता (साक्षी 1) के अनुसार, उनकी बेटी शिल्पा अपने ससुराल में पति डिपल उर्फ आकाश दीप और अपीलकर्ताओं के द्वारा दहेज की मांग के बारे में शिकायत कर रही थी। शिकायतकर्ता साक्षी-1 ने आरोप लगाया कि 19.08.2012 को उनकी बेटी शिल्पा को आग लगा दी गई थी और उसने पूरी चैतन्य अवस्था में उनसे कहा कि चंचल उर्फ बबिता, सचिन, सुनील कुमार गुप्ता (डिपल के बड़े चाचा), पुष्पा (सुनील कुमार गुप्ता की पत्नी), विकी (सुनील कुमार गुप्ता का बेटा), नीरू, श्रीकांत गुप्ता (सुनील कुमार गुप्ता का भाई), भगवान और खुशबू गुप्ता ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाला और उसे जला दिया। शिल्पा की मृत्यु कालिक कथन तहसीलदार द्वारा 19.08.2012 को 09.40 बजे रात दर्ज की गई, जिसमें उसने कहा कि चंचल उर्फ बबिता ने केरोसिन डाला और उसे आग लगा दी। मृतक शिल्पा ने उसी दिन रात यानी 19.08.2012 को दम तोड़ दिया। सुधीर कुमार गुप्ता (साक्षी 1) द्वारा दर्ज शिकायत पर, अपीलकर्ताओं सहित

नौ आरोपियों के खिलाफ धारा 304-बी, 498 ए, 302 भा.दं.सं और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। अन्वेषण पूरी होने पर, चंचल उर्फ बबिता (सचिन कुमार की पत्नी) के खिलाफ चार्जशीट धारा 302 भा.दं.सं के तहत दंडनीय अपराध के लिए दायर की गई थी। जहां तक अन्य आरोपियों का संबंध है, आरोप पत्र में कहा गया है कि धारा 498 ए, 304-बी भा.दं.सं और दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 के तहत कोई अपराध नहीं बनता था।

4. परीक्षण में, सुधीर कुमार गुप्ता (साक्षी-1), मोहित अग्रवाल (साक्षी-2), और मुनीश गुप्ता (साक्षी-3) की क्रमशः 30.10.2014, 06.11.2015 और 08.11.2015 को परीक्षित किया गया। लगभग एक वर्ष बाद 04.10.2016 को परीक्षण के दौरान, धारा 319 दं.प्र.सं. के तहत एक आवेदन, अभियोजन पक्ष द्वारा धारा 302 भा.दं.सं के तहत अपीलकर्ता/आरोपी को अपराध के लिए बुलाने की मांग करते हुए यह कहते हुए दायर किया गया था कि उनके नाम एफआईआर में और साक्ष्यों में भी उल्लिखित थे। साक्षी-1 और साक्षी-3 से विचारण न्यायालय ने कहा कि प्रथम दृष्टया अपीलकर्ताओं के खिलाफ धारा 302 भा.दं.सं. के तहत दंडनीय अपराध के लिए मुकदमा चलाने के लिए साक्ष्य उपलब्ध हैं, और आवेदन की अनुमति दी, और धारा 302 भा.दं.सं. के तहत परीक्षण के लिए अपीलकर्ताओं को समन जारी करने का आदेश दिया। अपीलकर्ताओं द्वारा दायर किए गए पुनरीक्षण याचिका को, उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश में याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उनके खिलाफ विशिष्ट आरोप हैं, और इसलिए, ट्रायल कोर्ट के आदेश में कोई अवैधता या अनौचित्य नहीं है। व्यथित होकर अपीलकर्ता हमारे सामने हैं।

5. अपीलकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री बसवा प्रभु एस पाटिल ने कहा है कि हालांकि एफआईआर में अपीलकर्ताओं के नामों का उल्लेख किया गया था, बाद में उन्हें अन्वेषण अधिकारी द्वारा अन्वेषण के दौरान जब चार्जशीट दायर की गई तो समाप्त कर दिया गया, और इस पहलू पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया था। हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य में संविधान पीठ का निर्णय (2014) 3 एससीसी 92, पर विश्वास जताते हुए कहा गया कि धारा 319 दं.प्र.सं. में प्रदत्त अधिकारों को संयम से प्रयोग किया जाना चाहिए और केवल उन मामलों में जहां मामले की परिस्थितियां अधिकृत करें कि अभियुक्त को धारा 319 दं.प्र.सं. के तहत बुलाया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया गया था कि वर्तमान मामले में, ट्रायल कोर्ट के पास धारा 309 भा.दं.सं. के तहत अपीलकर्ताओं को सुनवाई के लिए बुलाने के लिए धारा 319 दं.प्र.सं. के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का

उपयोग करने के लिए कोई मजबूत और ठोस सबूत नहीं हैं। यह तर्क दिया गया था कि जब मृतक शिल्पा की मृत्युकालिक कथन में केवल चंचल उर्फ बबिता का नाम शामिल है, तो विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय को धारा 302 भा.दं.सं. के तहत अपराधियों को दंडित करने के लिए अपीलकर्ताओं को बुलाने का आदेश नहीं देना चाहिए।

6. प्रतिपक्षी सुश्री रूचि कोहली, प्रतिवादी-राज्य की ओर से पेश वकील, ने कहा कि विचारण न्यायालय ने साक्षी -1 और साक्षी-3 के साक्ष्य के आधार पर खुद को संतुष्ट किया कि पत्रावली पर प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध हैं, जो अपराध में अपीलकर्ताओं की सहापराधिता का संकेत देते हैं, और उच्च न्यायालय ने आरोपी को समन करने के विचारण न्यायालय के आदेश को बाधित न कर सही निर्णय लिया।

7. हमने निवेदनों पर ध्यान से विचार किया है और पत्रावली पर आदेश और अन्य सामग्रियों का अनुशीलन किया है।

8. 19.08.2012 को तहसीलदार द्वारा 09.40 बजे रात्रि में घटना के तुरंत बाद दर्ज की गई मृत्युकालिक कथन में मृतक शिल्पा ने कहा था कि "उसकी देवरानी चंचल उर्फ बबिता .. और के साथ झगड़ा हुआ था; और यह कि चंचल उर्फ बबिता ने केरोसिन डाला और आग लगा दी "। साक्षी-1 द्वारा अगले दिन यानी 20.08.2012 को दर्ज की गई शिकायत में उन्होंने अपीलकर्ताओं के नामों का उल्लेख किया है। यद्यपि चार्जशीट केवल चंचल उर्फ बबिता के खिलाफ धारा 302 भा.दं.सं. के तहत दायर की गई थी, लेकिन शिकायतकर्ता ने उस स्तर पर कोई विरोध याचिका दायर नहीं की है। साक्षी -1 ने अपने साक्ष्य में अपीलकर्ताओं के नामों का उल्लेख किया है कि उनकी बेटी शिल्पा ने अपने चैतन्य अवस्था में उन्हें चंचल उर्फ बबिता सहित सभी अपीलकर्ताओं के नाम बताए थे, और कहा था कि वे उसके ऊपर केरोसिन डालने और आग लगाने के जिम्मेदार हैं।

9. धारा 319 (1) दं.प्र.सं. न्यायालय को किसी भी ऐसे व्यक्ति का अन्य अभियुक्तों के साथ विचारण में आगे बढ़ने का अधिकार देती है, जिसे अभियुक्त के रूप में नहीं दिखाया जाता है, परन्तु साक्ष्यों के आधार पर उसे ऐसा प्रतीत होता है कि इस तरह के व्यक्ति ने कोई अपराध किया है। यह साधारणतया स्थापित है कि धारा 319 दं.प्र.सं. के संदर्भ में अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने से पहले, अदालत को यह समाधान होना चाहिए कि अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए साक्ष्य, यदि खण्डित नहीं किये गए हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को जिन्हे अभियुक्त बनाया गया है को दोषसिद्ध करेगा।

हरदीप सिंह मामले में, संविधान पीठ ने निम्न विचार रखा है : -

"105. धारा 319 दं.प्र.सं. के तहत अधिकार एक विवेकाधीन और असाधारण अधिकार है। यह संयम से और केवल उन मामलों में प्रयोग किया जाना चाहिए जहां मामले की परिस्थितियां इस तरह की गारंटी दें। इसका प्रयोग इसलिए नहीं किया जाना चाहिए कि मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायाधीश की राय में कुछ अन्य व्यक्ति भी उस अपराध को कारित करने के दोषी हो सकते हैं। जहां एक व्यक्ति के खिलाफ मजबूत और तर्कपूर्ण साक्ष्य जिसे न्यायलय के समक्ष लाया गया है, मौजूद है, तभी इस तरह की शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए न कि असावधानी और अविचारित तरीके से।

106. इस प्रकार, हम मानते हैं कि यद्यपि अदालत के सामने लाये गए साक्ष्यों से केवल एक प्रथम दृष्टया मामला स्थापित होता है, जरूरी नहीं कि वह जिरह की कसौटी पर परीक्षित हो, इसके लिए उसकी सहापराधिता की संभावना से कहीं अधिक मजबूत साक्ष्य की आवश्यकता होती है। परीक्षण जो लागू किया जाना है, वह प्रथम दृष्टया मामले से अधिक है, जैसा कि चार्ज के निर्धारण के समय प्रयोग किया गया था, लेकिन समाधान में एक हद तक कमी के साथ कि साक्ष्य, यदि अखंडित रह जाता है, तो दोषसिद्धि की ओर ले जाएगा। इस तरह समाधान के अभाव में, अदालत को धारा 319 दं.प्र.सं. के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करने से बचना चाहिए। धारा 319 दं.प्र.सं. में दिया गया विधान "यदि यह साक्ष्यों से प्रकट होता है कि कोई व्यक्ति अभियुक्त नहीं है, परन्तु अपराध किया है" इन शब्दों से स्पष्ट है, "जिसके लिए ऐसे व्यक्ति को अभियुक्त के साथ परीक्षित किया जा सकता है"। "जिसके लिए ऐसे व्यक्ति को दोषसिद्ध किया जा सकता है" शब्द प्रयोग नहीं किये गए हैं। इसलिए, धारा 319 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अदालत के लिए कोई गुंजाइश नहीं है कि वह अभियुक्त के अपराध के प्रति कोई राय बना सके।"

10. सरबजीत सिंह और एक अन्य बनाम पंजाब राज्य, (2009) 16 एससीसी 46 में यह अवलोकन करते हुए कि अदालतों को धारा 319 दं.प्र.सं. के संदर्भ में अपने अधिकारिता और विवेक का प्रयोग करने के लिए कड़े परीक्षण का प्रयोग करें, निम्न विचार रखे गए:-

"21. संहिता की धारा 319 दं.प्र.सं. के तहत एक आदेश, केवल इसलिए नहीं पारित किया जाना चाहिए क्योंकि प्रथम सूचनादाता या साक्षियों में से कोई एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को फंसाना चाहता है। पर्याप्त और तर्कपूर्ण कारणों को अदालत द्वारा नियत जाना चाहिए ताकि प्रावधान के

अवयवों को संतुष्ट किया जा सके। केवल अप्रमाणित कथन उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा। कम से कम असाधारण अधिकारिता के प्रयोग के उद्देश्य के लिए इस तरह के साक्ष्य को संदेह मुक्त होना चाहिए। उपर्युक्त उद्देश्य के लिए, अदालतों को कड़े परीक्षण लागू करने की आवश्यकता है; परीक्षणों में से एक यह है कि क्या रिकॉर्ड पर ऐसा साक्ष्य है, जो उस व्यक्ति, जिसे समन करने की मांग की गई थी, को उचित रूप से दोष सिद्ध करेगा।

22. ... जबकि प्रथम दृष्टया मामले का परीक्षण आरोप तय करने के स्तर पर अपराध का संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त हो सकता है, अदालत को समाधान होना चाहिए कि एक ठोस संदेह मौजूद है। संहिता की धारा 227 के संदर्भ में आरोप तय करते समय, अदालत को पत्रावली पर पूरे सामग्री पर एक राय बनाने के लिए विचार करना चाहिए कि साक्ष्य, अगर अखंडित हैं, तो दोषसिद्ध के निर्णय तक ले जाएगा।

23. प्रश्न यह है कि क्या संहिता की धारा 319 के तहत अधिकारिता का अवलम्ब लेने के उद्देश्य से एक उच्च मानक स्थापित किया जाना है? इन सवालों के जवाब 'हाँ' में दिया जाना चाहिए। जब तक एक व्यक्ति को एक अतिरिक्त अभियुक्त के रूप में समन करने के लिए राय बनाने के उद्देश्य से उच्च मानक नहीं रखे जाते हैं, तब तक उसके अवयव जैसे (1) एक असाधारण मामला होना, और (2) अधिकारिता का अल्प प्रयोग का मामला होना, को संतुष्ट नहीं किया जा सकेगा।”

11. उपरोक्त सिद्धांतों को हमारे सामने प्रस्तुत मामले में प्रयोग करते हुए, हमारे विचार में, अपीलकर्ताओं को समन करने और धारा 302 भा.दं.सं. के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलकर्ताओं के खिलाफ आगे बढ़ने का कोई भी प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है। जैसा कि पहले बताया गया है, मृत्युकालिक कथन में मृतक शिल्पा ने केवल चंचल उर्फ बबिता के नाम का उल्लेख किया है; लेकिन उसने दूसरों के नामों का उल्लेख नहीं किया है। अगले दिन यानी 20.08.2012 को पुलिस के समक्ष दर्ज कराई गई अपनी शिकायत में, सुधीर कुमार गुप्ता, साक्षी 1, ने कहा है कि उनकी बेटी शिल्पा ने उन्हें बताया कि चंचल उर्फ बबिता और अन्य सभी लोगों ने केरोसिन उड़ेलने के बाद उसके ऊपर आग लगा दिया। साक्षी-1 ने न तो अपीलकर्ताओं के नाम बताए हैं और न ही किसी अन्य प्रकट कृत्य को जिम्मेदार ठहराया है। इसी तरह, अदालत के समक्ष अपने साक्ष्यों में, साक्षी-1 और 3 ने केवल यह कहा है कि शिल्पा ने उन्हें बताया कि चंचल उर्फ बबिता और अन्य सभी ने मृतक शिल्पा पर आग लगा दी

है। न तो शिकायत और न ही साक्षियों के साक्ष्य अपराध में अपीलकर्ताओं द्वारा निभाई गई भूमिका को इंगित करते हैं और न ही यह कि किस अभियुक्त ने कौन सा अपराध किया है। ऐसी परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष ने धारा 302 भा.द.सं. के तहत अपराध के लिए अभियुक्त को समन करने लिए प्रथम दृष्टया सामग्री प्रस्तुत किया है।

12. धारा 319 दं.प्र.सं. के तहत, प्रावधानों का प्रयोग करते हुए एक व्यक्ति को न केवल उसी अपराध के लिए जिसके लिए अभियुक्त को परीक्षित किया जाता है, बल्कि “किसी भी अपराध” के लिए अभियुक्त के रूप में जोड़ा जा सकता है; लेकिन यह अपराध ऐसा होना चाहिए जिसके संबंध में सभी अभियुक्तों को एक साथ परीक्षित किया जा सके। यह देखा जाना चाहिए कि क्या अपीलकर्ताओं को धारा 498 ए भा.द.सं. के तहत और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत अपराध के लिए समन किया जा सकता है। साक्षी-1 के बयान शिकायत में और अदालत के समक्ष दिए साक्ष्य में, दोनों ही साधारण थे कि उन्होंने शिल्पा को अपनी हैसियत के अनुसार पर्याप्त दहेज दिया था और वर पक्ष दहेज से संतुष्ट नहीं था और वे हर समय दहेज की मांग करते थे। जहाँ तक दहेज की मांग और दहेज उत्पीड़न की बात है, तो कोई विवरण जैसे मांग किस समय की गयी और मांग की प्रकृति क्या थी, नहीं दिया गया है। शिकायत और साक्ष्यों में प्रकथन अस्पष्ट है और किसी भी अपीलकर्ता के मत्थे किसी विशिष्ट मांग को नहीं मढ़ा गया है। ऐसी परिस्थितियों में, धारा 498 ए भा.द.सं. के तहत और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत भी अपीलकर्ताओं को समन करने का कोई औचित्य नहीं है। यह भी बताना उचित होगा कि अन्वेषण के पूरा होने पर, अन्वेषण अधिकारी ने महसूस किया कि धारा 498 ए, 304-बी भा.द.सं. और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत कोई अपराध नहीं बनता है। चंचल उर्फ बबिता के खिलाफ धारा 302 भा.द.सं. के तहत केवल दंडनीय अपराध के लिए चार्जशीट दायर की गई थी। जैसा कि हरदीप सिंह मामले में संविधान पीठ ने निर्णय दिया था कि धारा 319 दं.प्र.सं. के तहत एक अभियुक्त को समन करने के लिए उसकी सहापराधिता की संभावना की तुलना में अधिक मजबूत साक्ष्य की आवश्यकता है, जो वर्तमान मामले में नहीं है। हमारे विचारित दृष्टिकोण में विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने इस मामले को अच्छी तरह से तय सिद्धांतों के आलोक में परीक्षित नहीं किया है और प्रश्नगत आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

13. परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय का प्रश्नगत आदेश अपास्त किया जाता है और इन अपीलों को अनुमति दी जाती है। सत्र न्यायाधीश / फास्ट ट्रैक नंबर 1, मुरादाबाद सत्र परीक्षण संख्या 3/2013

की प्रक्रिया कानून के अनुसार आगे बढ़ायेंगे। हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने मामले के गुणागुण पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

..... जे.

(आर. बानुमती)

.....जे.

(आर. सुभाष रेड्डी)

नई दिल्ली: 27 फरवरी, 2019